रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1839] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2010/भाद्र 15, 1932
No. 1839] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010/BHADRA 15, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2010

का.आ. 2183(अ).— केन्द्रीय सरकार ने , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन,सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1097 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के 52.250 कि.मी. से 131.000 कि.मी. (मेरठ - मुजफ्फरनगर सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात ''प्राधिकरण'' कहा गया है) को सौंपा है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के 52.250 कि.मी. से 131.000 कि.मी.(मेरठ - मुजफ्फरनगर सेक्शन) (डिजाईन चैनेज 52.250 कि.मी. से 130.56 कि.मी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त सेक्शन" कहा गया है), के विकास , प्रचालन और अनुरक्षण के लिए ,निर्माण, प्रचालन और अन्तरण (बी.ओ.टी) आधार पर मैसर्स वेस्टर्न यू.पी टोलवे लिमिटेड ; जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 41 , नागार्जुन हिल्स , पुंजागुट्टा , हैदराबाद - 500082 है (जिसे इसमें इसके पश्चात "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त

सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रवर्ग पर फीस उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है,

सारणी

क्रम संख्यांक	यान का प्रवर्ग	1 जुलाई 1997 को आधार फीस प्रति यान प्रति कि.मी. प्रति फेरे की दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार,यात्री वैन या जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय), अर्थ मूविंग उपस्कर या भारी निर्माण मशीनरी	2.25

टिप्पण:-

1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ,-

(i) वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) विनिर्दिष्ट परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, और

(ख) इस अधिसूचना की सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और जो पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ;

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन , स्वतन्त्र परामर्शदाता द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात्‌ प्रारंभ होता है ।

(iii)"स्थानीय निजी यातायात" से ऐसा यान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निजी यान भी है (कार या यात्री वैन या जीप) जो ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत है, जो सामान्यतया ऐसे स्थान पर निवास करता है या कार्य करता है जहाँ सामान्यतया उक्त सेक्शन के केवल एक भाग का उपयोग करके पहुँचा जा सकता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति से अपने कार्य स्थल या निवास से आने या जाने के सामान्य अनुक्रम में उक्त सेक्शन के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यान का उपयोग करना अपेक्षित है।

(iv) "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से ऐसे वाणिज्यिक यान अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत : सामान या यात्रियों को लाने या ले जाने में लगे बस, ट्रक, हल्के मोटर यान या टैक्सी भी हैं, जो उक्त सेक्शन पर नियमित रूप से चलती हैं।

(v) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(vi) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त सेक्शन के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं।

2. फीस की वास्तविक दर तथा उसका पुनरीक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगा, की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{थो.की.सू.- ख}}{\text{थो.की.सू.- क}} \times \text{उक्त खंड की लम्बाई}$$

जहां

- थो.की.सू.- क = मार्च 1997 को थोक कीमत सूचकांक है;
- थो.की.सू.- ख = फीस-पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 31 मार्च को थोक कीमत सूचकांक है।

3. फीस का संग्रहण पथकर प्लाजा 75.990 कि.मी. पर किया जायेगा।

4. उक्त सम्पूर्ण खंड को चार लेन का बनाए जाने तक स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार उक्त खंड के कम से कम 50 कि.मी. के लगातार हिस्से को चार लेन का बनाने का काम पूरा कर लेने के पश्चात्, रियायतग्राही उपभोक्ताओं पर शुल्क लगाने तथा शुल्क संग्रहण का काम प्रारम्भ कर सकेगा, और यदि रियायतग्राही निर्माण की नियत अवधि मे सम्पूर्ण राजमार्ग परियोजना को पूरा करने मे विफल रहता है तो उक्त करार के अनुसार शुल्क संबंधी अधिसूचना को तत्काल अनाधिसूचित कर दिया जायेगा और सम्पूर्ण राजमार्ग परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही नई अधिसूचना जारी की जाएगी।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-

(अ) ऐसे यान जो 'अति महत्वपूर्ण व्यक्ति' प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं अर्थात् :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघराज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल,

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष अथवा केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी प्रास्थिति कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठे हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य में किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है,

(ज) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ,

रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ;

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।

6. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उपरिदर्शित सारणी के अधीन नहीं आते हैं ।

7. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात से निम्नलिखित छूट दरों से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा अर्थात्:-

विशिष्टियां	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग यानो पर लागू रियायती फीस का प्रतिशत
(क) स्थानीय निजी यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पच्चीस प्रतिशत
(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पचास प्रतिशत

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन मुफ्त उपलब्ध है , वहां रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस उदगृहीत और संगृहीत करेगा, यदि वे उक्त संक्शन का उपयोग करते है।

8. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख सहित कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले इस अधिसूचना के अनुसार प्रकाशित करेगा ।

9. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी है , पथकर बूथ से 500 मी. आगे, पथकर बूथ से 100 मी. आगे और पथकर बूथ पर सहज रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके ।

10. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, प्राधिकरण को यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए भेजी जाएगी ताकि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी ।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/520/09-10/सी.ओ./जीएम मेरठ (मेरठ-मुज़फ्फरनगर) (बी.ओ.टी.)]

एस.एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2010

S.O. 2183(E).—Whereas, the Central Government, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1097 (E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), has entrusted the section from Km 52.250 to Km 131.000 of the national highway number 58 (Meerut – Muzaffarnagar section) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the "Authority");

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Western UP Tollway Limited, having registered office at 41, Nagarjuna Hills, Punjaguta,

Hyderabad 500082, (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the construction, operation and maintenance of the section from Km 52.250 – Km 131.000 (Meerut - Muzaffernagar section) (design chainage from Km 52.250 – Km 130.56) of national highway number 58 (herein after referred to as the "said section") on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of such agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rates specified in column (3) of the following Table on mechanical vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the said section, and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date.

TABLE

S. No.	Category of Vehicle	Rate of base fees per vehicle per one way trip per Km (in rupees) as on 1st July, 1997
(1)	(2)	(3)
1.	A car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	0.70
3.	Truck or bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle), earth moving equipment or heavy construction machinery.	2.25

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said stretch at the fee plaza on the basis of,
(i) length of the project highway, and
(ii) base fee given in the Table to this notification duly indexed, and rounded off to the nearest five rupees on lower side;

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the section, begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the section of the said national highways in accordance with the provisions of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "local personal traffic" means and includes a personal vehicle (car or passenger van or jeep) which is registered with the Concessionaire by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section and such person is, therefore, required to use such vehicle for commuting on a part of the said section in the course of normal travel to and from his place of work or residence;

(iv) "local commercial traffic " means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxies engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section;

(v) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(vi) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said Agreement.

2. The actual amount of fee and the revision thereof effect from 1st July every year shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the said section.}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index as on March, 1997.
- WPI-B = is the Wholesale Price Index on March, 31st preceding the fee revision date.

3. The fee shall be collected at the fee plaza situated at Km 75.990.

4. The Concessionaire may commence levying and collecting fees from the users after completion of four laning of at least 50 Kms continuous stretch out of the said section, as certified by the Independent Engineer until the whole of said section is four laned;

and in case the Concessionaire defaults in completing the entire project highway within the stipulated construction period, the fee notification shall be de notified immediately in accordance with the said agreement and fresh notification shall be issued only after completion of the entire project highway.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) Vehicles-

(A) having VIP symbols or officially belonging to:

(a) the President of India;
(b) the Vice-President of India;
(c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
(d) a Foreign dignitary on State visit to India;
(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
(f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition i Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or
(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the table shown above.

7. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in excess of the following discounted rates, namely: --

Particulars	Percentage of discounted fee for the specified category of vehicle.
(i) Local Personal Traffic	Twenty five per cent of the applicable fee for the specified category of vehicle.
(ii) Local Commercial Traffic	Fifty per cent of the applicable fee for the specified category of vehicle:

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic only if they use the said section.

8. The concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

9. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

10. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March , in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effected so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/520/09-10/CO/GC Meerut (Meerut-Muzaffarnagar) BOT]

S. S. GULIA, Director

3503 GI/10-3

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054